सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-4791/DN/12/2025-RU-IV **दिनांक: 05.06.2026**

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-दादरा और नगर हवेली, सिलवासा,
कार्यालय जिला कलेक्टर, सिलवसा,
दादरा और नगर हवेली-396230 ,
ई-मेल: collector-dnh@nic.in
collector-dnh@ddd.gov.in

विषय: संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के संबंध में- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय को दिनांक 02-04 मार्च, 2025 की अवधि में सिलवासा प्रवास के दौरान जनजाति नागरिकों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय का दिनांक 12.03.2025 के निदेश।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 28.04.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 17.06.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री प्रभु रत्ना टोकिया,
संयोजक, आदिवासी समन्वय मंच-भारत,
252/1, अथोला उमरकुई रोड,
सिलवासा, दादरा नगर हवेली
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।